दिनांक 17.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 25/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 17.09.2025 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री ओ0पी0एस0 मलिक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 15.09.2025 को, श्री डी0सी0 वशिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक के दिनॉकः 14.09.2025 को एवं श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक के दिनॉकः 08.09.2025 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारियों का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया।

श्री ओ0पी0एस0 मलिक जी का संक्षिप्त जीवन परिचय :–

श्री ओ0पी0एस0 मलिक जी का जन्म 15 जुलाई, 1952 को जनपद गौतमबुद्ध नगर में हुआ था।

श्री ओ0पी0एस0 मलिक जी वर्ष 1975 में "भारतीय पुलिस सेवा" में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त वह सहायक पुलिस अधीक्षक झांसी, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद लखनऊ, वाराणसी, पुलिस अधीक्षक(नगर) मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक बहराइच, पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़, झांसी, वाराणसी, इलाहाबाद, सेनानायक 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी एवं सेनानायक 09वीं वाहिनी पीएसी(एसपीएफ) मुरादाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1992 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 1997 में केन्द्रीय प्रतिनुयक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस उप महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं लखनऊ एवं पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1997 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक (भवन एवं कल्याण) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी जोन एवं इलाहाबाद जोन के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं से वर्ष 2001 में पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2006 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं से पुनः केन्द्रीय

प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुये ही वह पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद से दिनांकः 31.07.2012 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। श्री ओ0पी0एस0 मलिक जी का दिनांकः 15.09.2025 को दुःखद निधन हो गया है। श्री ओ0पी0एस0 मलिक जी अपने पीछे पत्नी व दो पुत्रियों का भरापूरा परिवार छोड़ गये हैं।

श्री ओ0पी0एस0 मलिक जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। श्री ओ0पी0एस0 मलिक जी का लगभग 37 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान उन्हें दिनांकः 08.05.1991 को "वीरता के लिये पुलिस पदक", गणतंत्र दिवस 1994 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'', गणतन्त्र दिवस 2000 के अवसर पर "विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक'' एवं दिनांकः 03.05.2005 के अवसर पर "पराक्रम पदक" से सम्मानित किया गया है। श्री ओ0पी0एस0 मलिक जी अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

श्री डी0सी0 वशिष्ठ जी का संक्षिप्त जीवन परिचय :–

श्री डी0सी0 वशिष्ठ जी का जन्म 03 अगस्त, 1948 को जनपद गाजियाबाद में हुआ था।

श्री डी0सी0 वशिष्ठ जी वर्ष 1976 में "प्रान्तीय पुलिस सेवा" में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त वह पुलिस उपाधीक्षक जनपद अलीगढ़, देहरादून, फैजाबाद, अल्मोड़ा, नैनीताल, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ मुरादाबाद, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ, सहायक सेनानायक 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद एवं मण्डलाधिकारी अभिसूचना लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1989 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर, मुरादाबाद एवं अपर पुलिस अधीक्षक अभिसूचना नैनीताल के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1993 में "भारतीय पुलिस सेवा" में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक(नगर) लखनऊ, पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद, सीतापुर, जालौन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मेरठ, वाराणसी, पुलिस अधीक्षक, पीटीसी–II मुरादाबाद, अभिसूचना लखनऊ, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ एवं सेनानायक 06वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2004 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक पीटीएस मेरठ, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी, वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी सेक्टर मेरठ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2008 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक पीटीएस मेरठ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से दिनांकः31.08.2008 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। श्री डी0सी0 वशिष्ठ जी का दिनांकः 14.09.2025 को दुःखद निधन हो गया है। श्री डी0सी0 वशिष्ठ जी अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र व उनका भरापूरा परिवार छोड़ गये हैं।

श्री डी0सी0 वशिष्ठ जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। श्री डी0सी0 वशिष्ठ जी का लगभग 32 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान उन्हें गणतंत्र दिवस 1995 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'' एवं स्वतंत्रता दिवस 2002 के अवसर पर "विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक'' से सम्मानित किया गया है। श्री डी0सी0 वशिष्ठ जी अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय :—

श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा जी का जन्म 18 मार्च, 1954 को जनपद इलाहाबाद में हुआ था।

श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा जी वर्ष 1981 में "प्रान्तीय पुलिस सेवा" में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त वह पुलिस उपाधीक्षक 09वीं वाहिनी पीएसी(एसपीएफ) मुरादाबाद, पुलिस उपाधीक्षक जनपद झांसी, उन्नाव, वाराणसी एवं पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1994 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त उप सेनानायक 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर, बांदा, कानपुर देहात, वाराणसी, कानपुर नगर, स्टाफ ऑफिसर पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद, अपर पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू(सीआईडी) कानपुर नगर, यातायात कानपुर नगर, सीबीसीआईडी लखनऊ, सेन्ट्रल स्टोर्स कानपुर नगर एवं सेक्टर ऑफिसर सीबीसीआईडी कानपुर नगर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2004 में "भारतीय पुलिस सेवा" में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ, श्रावस्ती, औरैया, ललितपुर, पुलिस अधीक्षक विशेष जाँच लखनऊ, सेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर, 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी एवं 09वीं वाहिनी पीएसी(एसपीएफ) मुरादाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2010 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी सेक्टर, कानपुर नगर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी(पूर्वी जोन) लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से दिनांकः31.03.2014 को वह अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये। श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा जी का दिनांकः 08.09.2025 को दुःखद निधन हो गया है। श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा जी अपने पीछे दो पुत्र, एक पुत्री व उनका भरापूरा परिवार छोड़ गये हैं।

श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा जी का लगभग 33 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। श्री अखिलेश्वर राम मिश्रा जी अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

स्व0 ओम प्रकाश सिंह मलिक
स्व0 दिनेश चन्द्र वशिष्ठ
स्व0 अखिलेश्वर राम मिश्रा

दिनांक 17.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 26 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को पुस्तक 'वर्चस्व' भेंट

आज दिनांक 17.09.2025 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्णा** द्वारा सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्री राजेश पाण्डेय से पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में मुलाकात की गयी। इस अवसर पर **श्री राजेश पाण्डेय** ने अपनी लिखी पुस्तक **"वर्चस्व"** पुलिस महानिदेशक को भेंट की।

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-2024 के अंतर्गत **"वर्चस्व"** को न्यायालयी विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, अपराध शास्त्र एवं पुलिस प्रशासन श्रेणी में **प्रथम पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार **माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी** द्वारा दिनांक 14/15.09.2024 को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्ज़िबिशन सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री राजेश पाण्डेय को उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गई।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
राजभाषा विभाग
Department of Official Language

भारत के नागरिकों हेतु **राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना–2024** के अंतर्गत **न्यायालयी विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, अपराध शास्त्र और पुलिस प्रशासन** की श्रेणी में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए **श्री राजेश कुमार पाण्डेय** को उनकी पुस्तक **'वर्चस्व'** के लिए **प्रथम** पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

Mr. Rajesh Kumar Pandey is awarded **FIRST** prize for his book **'Varchasva'** under the **Rajbhasha Gaurav Award Scheme-2024** for the citizens of India for Original Book Writing in Hindi in the category of **Forensic Science, Police Research, Criminology and Police Administration.**

सचिव, भारत सरकार

Secretary to the Government of India

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
भारत के नागरिकों को न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन की श्रेणी में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए
राजभाषा गौरव पुरस्कार
वर्ष : 2024
श्री राजेश पाण्डेय
को उनकी पुस्तक ''वर्चस्व'' के लिए
प्रथम
पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त

दिनांक 17.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 27/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–उपचार के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार एवं थाना वजीरगंज, लखनऊ से वांछित अभियुक्त शिवकुमार उर्फ बब्लू गिरफ्तार।

दिनांक 16–09–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना क्षेत्र वजीरगंज जनपद लखनऊ से वांछित एवं उपचार के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त शिवकुमार उर्फ बब्लू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– शिवकुमार उर्फ बब्लू पुत्र रामलखन लोधी नि0 529/399/2क रहीमनगर थाना महानगर जनपद लखनऊ। (उम्र लगभग 59 वर्ष)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

क्लार्क अवध होटल के पास, थाना क्षेत्र वजीरगंज, जनपद लखनऊ दिनांक 16–09–2025 समय लगभग 20:30 बजे।

वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 हरीश कुमार सिंह चौहान मु0आ0 सरताज अहमद, मु0आ0 सूरज सिंह, आरक्षी राम सिंह की टीम द्वारा सूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2025 धारा 261, 262 बी0एन0एस0 में अभियुक्त शिव कुमार वांछित चल रहा है। दिनांक 16–09–2025 को एसटीएफ टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस अभिरक्षा से फरार शिवकुमार उर्फ बब्लू क्लार्क अवध होटल के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त षिव कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह शराब पीने का आदि है। इस बात को लेकर उसके बेटे से हमेशा विवाद होता रहता था। दिनांक 22–03–2025 को भी इसके बेटे से कहासुनी हुई उसी दौरान यह अपने बेटे के सिर में हथौड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना महानगर, जनपद लखनऊ में अभियोग पंजीकृत हुआ और यह जेल चला गया। दिनांक 19–05–2025 को बलरामपुर चिकित्सालय मे इजाल हेतु दाखिल हुआ। इलाज के दौरान ही दिनांक 24–05–2025 को पुलिस टीम को चकमा देकर वहॉ से फरार हो गया था तथा तभी यह इधर–उधर लुक छिपकर रह रहा था।

अभियुक्त को थाना वजीरगंज, लखनऊ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ द्वारा मादक पदार्थ का तस्कर कर रहे 01 वांछित तस्कर को जनपद शामली से गिरफ्तार ।</u>

एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थाना मेरठ द्वारा मु0अ0स0– 142/24 अर्न्तगत धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बाबरी, शामली में वांछित अभियुक्त नासिर पुत्र कासिम निवासी मौहल्ला अन्सारियान, कस्बा ऊन, थाना झिंझाना, शामली को कस्बा कैराना, शामली से गिरफ्तार कर थाना बाबरी जनपद शामली पर दाखिल किया गया है, मा0 न्यायालय में समय से पेश कर रिमाण्ड प्राप्त किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया कि वह मो0 अली पुत्र जहूर निवासी अल खुर्द, कैराना को बचपन से जानता है। वह, मुन्ना निवासी बिहार से चरस मंगाता है और सप्लाई करता है। शर्मा साहनी से पकडी गयी चरस को वह मो0 अली पुत्र जहूर निवासी अलखुर्द, कैराना के कहने पर मुन्ना से मंगायी थी। क्योंकि उसकी बहन की शादी थी इसलिये वह चरस की डिलीवरी लेने नहीं गया था, मो0 अली ही डिलीवरी लेने के लिये जाने वाला था। डिलीवरी से पहले ही शर्मा साहनी, चरस के साथ पकडा गया था। शर्मा साहनी के पकडे जाने की सूचना मो0 अली ने फोन पर उसे दी थी। यह माल पकडे जाने से करीब दो हफ्ते पहले भी शर्मा साहनी चरस देने आया था तब वह चरस लिवाने गया था । मो0 अली

भी सहारनपुर में था लेकिन पकडे जाने से बचने के लिये उसने इसको ही चरस लिवायी थी। शर्मा साहनी से वह चरस लेकर उसने मो0 अली के घर पर पहुंचायी थी। काम के समय पर वह अधिकतर काल व्हाट्सऐप से करते हैं। मो0 अली कभी भी चरस खरीदने बेचने वालों से नार्मल काल पर बातें नहीं करता है। उसकी मुन्ना से नार्मल काल पर भी बातें होती थीं। उसका काम मुन्ना से चरस ख़रीदने की बातें करना, चरस का आर्डर देना और मुन्ना द्वारा भिजवायी गयी चरस की डिलीवरी कराना है, जिसके लिये उसे दोनों ओर से हजार–दो हजार रूपये कमीशन मिलता रहता है। मुन्ना के मोबाइल नम्बर के आखिरी चार नम्बर 9611 और मो0 अली के मोबाइल नम्बर के आखिरी चार नम्बर 7231 हैं। लिखकर पढकर सुनाया तो बताया कि यही उसका बयान है।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

दिनांक– 16.09.2025 समय 14.05 बजे स्थान– एसडीएम कार्यालय से सामने कस्बा कैराना शामली ।

बरामदगी का विवरण

1– 01 अदद मोबाइल फोन कीपैड

2– 01 अदद मोबाइल फोन एण्डरॉइड

3– 1,410/– रुपया नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ

1. प्र0नि0 सौरभ विक्रम सिंह
2. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह
3. हे0का0 पंकज कुमार
4. हे0का0 राजेन्द्र कुमार
5. का0 अंकित कुमार
6. विशाल गुप्ता

जनपद शामली/थाना कांधला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 16/17.09.225 की रात्रि थाना कांधला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खन्द्रावली नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शाहरूख घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना थानाभवन जनपद शामली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहरूख निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) ।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शामली/थाना आदर्शमण्डी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.09.2025 को थाना आदर्शमण्डी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करौड़ी पुल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना थानाभवन पर पंजीकृत गैगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनू निवासी टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद ललितपुर/थाना को0 ललितपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लाख 47 हजार 900 रूपये नगद**
- **01 टैबलेट, चेकबुक, 10 एटीएम कार्ड, 04 पैन कार्ड, आधार कार्ड**
- **01 स्कार्पियो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17.09.2025 को थाना को0 ललितपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–राशिद खान उर्फ सानू सहित 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 लाख 47 हजार 900 रूपये नगद, 01 टैबलेट, चेकबुक, 10 एटीएम कार्ड, 04 पैन कार्ड, आधार कार्ड, 01 स्कार्पियो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राशिद खान उर्फ सानू शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना को0 ललितपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना को0 ललितपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राशिद खान उर्फ सानू निवासी नेहरूनगर थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

बरामदगी

1–02 लाख 47 हजार 900 रूपये नगद।

2–01 टैबलेट, चेकबुक, 10 एटीएम कार्ड, 04 पैन कार्ड, आधार कार्ड।

3–01 स्कार्पियो वाहन आदि।

जनपद फतेहगढ़/थाना को0 मोहम्मदाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल बिक्री के 10 हजार 220 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 17.09.2025 को थाना को0 मोहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोविन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से लूट के माल बिक्री के 10 हजार 220 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना को0 मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना को0 मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोविन्द निवासी ग्राम पिपरगांव थाना को0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–लूट के माल बिक्री के 10 हजार 220 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना तिवारीपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.09.2025 को थाना तिवारीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंधियारीबाग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सरफराज आलम उर्फ नदीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरफराज आलम उर्फ नदीम निवासी शहमारूफ चेतना गली थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।

जनपद मथुरा/थाना जैत

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.09.2025 को थाना जैत व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आझई पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितेशपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैत पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जैत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितेशपाल निवासी इन्द्रपुरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

➢ **जनपद चित्रकूट/थाना राजापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ज्ञानबाबू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद मीरजापुर/थाना को0कटका (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना को0कटका पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राम नारायण को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना जुगैल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना जुगैल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 5एन/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————